बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

पत्रांक- बाढ़(मो0)सिंचाई-14/92-अंश-।।- 2101 पटना, दिनांक- 20-05-2026

प्रेषक:-

प्रत्यय अमृत,

मुख्य सचिव

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त/पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक/
जिला पदाधिकारी/वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक ।

विषय:- बाढ़ नियंत्रण आदेश- 2026

महाशय,

बाढ़ नियंत्रण आदेश 2026 की प्रति संलग्न करते हुए कहना है कि सभी पदाधिकारियों को बाढ़ अवधि में उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों का सामना एकजुट होकर करना है । किसी भी स्तर पर लापरवाही एवं चूक होने से उसका भयंकर परिणाम निकल सकता है । अत: हर स्तर पर सतर्कता बरतने की आवश्यकता है । बाढ़ नियंत्रण आदेश में निहित निदेशों का सावधानी एवं जिम्मेवारी से अनुपालन आपके एवं आपके अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा निश्चित रूप से होना चाहिए । साथ ही अधीनस्थ पदाधिकारियों को यह भी निदेश दिया जाना चाहिए कि वे बाढ़ नियंत्रण कार्यो में आनेवाले व्यवधानों को दूर करने एवं बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यो में तकनीकी पदाधिकारियों को पूर्ण सहयोग देने का हर संभव प्रयास करें । लापरवाह पदाधिकारियों के विरूद्व कठोर अनुशासनिक कार्रवाई शीघ्र की जानी चाहिए तथा अच्छे पदाधिकारियों का मनोबल उठाये रखने का हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए ।

2- बाढ़ अवधि में बाढ़ प्रक्षेत्र से संबंधित अभियंताओं को विधि व्यवस्था में प्रतिनियुक्ति से मुक्त रखा जाय ।

3- बाढ़ अवधि के पूर्व कुछ महत्वपूर्ण कार्यो यथा बाढ़ सुरक्षात्मक तटबंधों के कमजोर स्थलो की मरम्मति, बाढ़ से प्रभावित होनेवाले संभावित क्षेत्रों में सड़कों की मरम्मति, महामारी की रोकथाम के लिये दवाओं का प्रबंध आदि के लिए बाढ़ के यथेष्ट पहले सभी व्यवस्था पूरी करा देना अत्यंत आवश्यक है ।

4- अनुरोध है कि संलग्न बाढ़ नियंत्रण आदेश में निहित अनुदेशों का दृढ़ता से पालन किया जाये तथा कराया जाय ।

अनु0:-यथोपरोक्त ।

विश्वासभाजन

15.5.2026

(प्रत्यय अमृत)

मुख्य सचिव

12/05/26

AE

Abhishek/badh niyantran adesh

12/5/26

EE-15

ज्ञापांक सं0- बाढ़(मो0)सिंचाई-14/92-अंश-।।- 2101 /पटना, दिनांकः- 20-05-2026

प्रतिलिपि- सभी अभियन्ता प्रमुख/सभी मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं तदनुसार कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(चन्द्रशेखर सिंह)
सचिव
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक सं0-बाढ़(मो0)सिं0-14/92-अंश-।। 2101 /पटना, दिनांकः-20-05-2026

प्रतिलिपि- बाढ़ नियंत्रण आदेश 2026 की एक प्रति के साथ विकास आयुक्त, बिहार पटना/ कृषि उत्पादन आयुक्त बिहार, पटना/ अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार पटना/ प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/ प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग/ सचिव, स्वास्थ्य विभाग/ सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/ सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग/ सचिव, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग/ अभियन्ता प्रमुख, मुख्यालय/ बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण/ सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, पटना/ अभियन्ता प्रमुख-सह-विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, पटना/ कमाण्डर, बिहार, झारखंड एवं उड़ीसा, दानापुर कैन्टोमेंट, दानापुर, पटना/ नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, मौर्य लोक, पटना/ सभी पुलिस उप महानिरीक्षक/ सभी मुख्य अभियन्ता/ सभी अधीक्षण अभियन्ता, जल संसाधन विभाग/ मुख्य अभियन्ता, लोक स्वास्थ अभियंत्रण विभाग,पटना/ सहायक पुलिस महानिरीक्षक, संचार, पटना/ प्रशासक, पटना नगर निगम, पटना/ मुख्य अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग, जल संसाधन विभाग/ संयुक्त सचिव, अभियंत्रण जल संसाधन विभाग, पटना/ अधीक्षण अभियन्ता, बाढ़ नियंत्रण योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित ।

अनुः- बाढ़ नियंत्रण आदेश 2026

(चन्द्रशेखर सिंह)
सचिव
जल संसाधन विभाग

12/05/26
AE
Abhishek/badh niyantran adesh

12/5/26
EE-15

बाढ़ नियंत्रण आदेश–2026

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

<u>बाढ़ नियंत्रण आदेश-2026</u>

1.00 **सामान्य**

1.01 जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत, छः अदद मुख्य अभियन्ता क्षेत्रीय स्तर पर पदस्थापित हैं, जो बाढ़ नियंत्रण योजनाओं के सम्पोषण तथा कार्यान्वयन करने के निमित्त विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं । जल संसाधन विभाग द्वारा बाढ़ से सुरक्षा प्रदान करने के निमित्त अनेक नदियों पर बाढ़ सुरक्षात्मक योजनायें बनायी गयी हैं । संबंधित मुख्य अभियन्ताओं की यह जिम्मेवारी होगी कि अपने-अपने क्षेत्र में पड़ने वाले तटबंध की सुरक्षा हेतु निरीक्षणोपरान्त कमजोर स्थलों को मजबूत कराने की कार्रवाई 01 जून, 2026 के पूर्व अनिवार्य रूप से पूरी कर लें ताकि बाढ़ के दिनों में आकस्मिक विफलता की स्थिति उत्पन्न होने से बचा जा सके ।

1.02 विगत वर्षो की भाँति संबंधित मुख्य अभियन्ताओं से अपेक्षा है कि बाढ़ नियंत्रण के लिये अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों को 01.06.2026 तक बाढ़ गश्ती- नियमावली निर्गत कर दें जिसमें इसका भी समावेश हो कि मुख्य अभियंता से लेकर कनीय अभियन्ता स्तर तक के पदाधिकारियों की क्या-क्या जिम्मेवारियाँ होंगी ।

1.03 बाढ़ गश्ती नियमावली में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए कि बाढ़ नियंत्रण कार्यो की सुरक्षा हेतु किस प्रकार की आवश्यक व्यवस्था की जाय तथा बाढ़ मौसम में पदाधिकारियों के कर्तव्यों तथा जिम्मेदारियों का भी जिक्र रहे । मुख्य अभिंयता यह सुनिश्चित करेगें कि अधीक्षण अभियन्ता, कार्यपालक अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, कनीय अभियन्ता तथा अन्य कर्मचारी जो गश्ती कार्य पर तैनात किये गये हैं, वे बाढ़ की आपात स्थिति में यथोचित कार्रवाई करने हेतु चौकस हैं तथा अपनी-अपनी जिम्मेवारियों का समर्पित भाव से निर्वाह कर रहे हैं । उनके द्वारा बरती गई किसी भी प्रकार की लापरवाही /शिथिलता सरकार द्वारा गंभीरता से ली जाएगी।

1.04 मुख्य अभियन्ता बाढ़ के दिनों में क्षेत्रीय पदाधिकारियों के अधीन सुरक्षात्मक कार्यो पर पूर्ण नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण रखेंगे, ताकि टूटान, चूहों के द्वारा किये गये छेदों एवं क्षतिग्रस्त भागों की मरम्मति के कार्य को 01 जून 2026 के पूर्व पूरा कर लिया जाय ताकि किसी प्रकार की क्षति तथा बाढ़ विभीषिका से बचा जा सके । मुख्य अभियन्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि बाढ़ संघर्षात्मक मशीनरी बिल्कुल ही सुदृढ़ एवं चौकस स्थिति में रहे, ताकि बाढ़ का सामना प्रभावी ढंग से किया जा सके ।

1.05 आपातकाल से उत्पन्न समस्याओं की जानकारी प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग/ अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग, पटना को कम से कम समय में भेजने हेतु मुख्य अभियंता समीपस्थ पुलिस बेतार/ विभागीय बेतार/ फैक्स/ई-मेल (fmcwrd@gmail.com) / विशेष दूत का उपयोग करेंगें ।

1.06 मुख्य अभियन्ता बाढ़ संघर्षात्मक कार्यो के लिये की गयी व्यवस्था एवं कराये जा रहे कार्यो के प्रगति (फोटो/विडियो सहित) का भी प्रतिवेदन ससमय देते रहेंगे ।

1.07 मुख्य अभियंता अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों को बाढ़ गश्ती नियमों का गहराई से अध्ययन तथा समय-समय पर दिये गये निदेशों को कार्यान्वित करने एवं उनके उपयोग पर जोर देंगे, ताकि बाढ़ नियंत्रण कार्यो को सुचारू रूप से किया जा सके ।

2.00 **केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण कोषांग-सह-सहायता केन्द्र तथा क्षेत्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष**

2.01 दिनांक 01.06.2026 से सचिवालय स्तर पर सिंचाई भवन में केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण कोषांग-सह-सहायता केन्द्र कार्य करना प्रारंभ करेगा, जो लगातार 24 घंटे दिनांक 31.10.2026 तक कार्यरत रहेगा । इस अवधि को किसी आपात स्थिति के अनुसार बढ़ाया जा सकेगा। क्षेत्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष भी इस अवधि में मुख्य अभियंता के सीधे अधीन, उनके मुख्यालय में कार्य करना प्रारम्भ कर देगा, जो बाढ़ संबंधी सूचनाओं की जानकारी केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष, पटना को लगातार और ससमय देगा ।

मुख्य अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग, पटना, द्वारा केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण कोषांग-सह-सहायता केन्द्र, पटना पर अपना सीधा नियंत्रण रखा जाएगा । केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण कोषांग-सह-सहायता केन्द्र, पटना अधीक्षण अभियन्ता, बाढ़ नियंत्रण योजना एवं मोनिटरिंग अचंल, पटना के प्रभार में कार्य करेगा । इन्हे यह भी अधिकार होगा कि वे किसी भी दूसरे मुख्य अभियन्ता/ अधीक्षण अभियन्ता/ कार्यपालक अभियन्ता से कर्मचारी तथा वाहन की मदद की मांग बाढ़ द्वारा उत्पन्न स्थिति में कर सकेंगे ।

बिहार राज्य की जनता इस सहायता केन्द्र में बाढ़ संबंधी आपदा/आकस्मिकता/तटबंध में सीपेज/पाईपिंग/कटाव/क्षरण/जान-बूझ कर क्षति पहुँचायें जाने आदि से संबंधित कोई भी जानकारी एवं शिकायत 24 घंटे एवं 7 दिन कार्यरत **टॉल फ्री नम्बर : 1800 3456 145** या दूरभाष सं0-0612-2206669 एवं 0612-2215850 पर कॉल करके जल संसाधन विभाग तक पहुँचा सकेंगे । सहायता केन्द्र में कॉल के माध्यम से प्राप्त जरूरी सूचनाओं/शिकायतों के संबंध में त्वरित कार्रवाई की जायेगी ।

2.02 बाढ़ नियंत्रण कार्यो के प्रभारी क्षेत्रीय अधीक्षण अभियन्ता, कार्यपालक अभियन्ता, अवर प्रमंडलीय पदाधिकारी यदि आवश्यक समझते हों तो बाढ़ नियंत्रण कक्ष को अपने स्तर

पर संबंधित मुख्य अभियंता के परामर्श से संगठित कर सकते है तथा आक्राम्य स्थलों पर भी नियंत्रण कक्षों की स्थापना कर सकते हैं, ताकि संवादों का प्रवाह राज्य मुख्यालय को तीव्र गति से होता रहे ।

2.03 केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष, पटना के लिये मार्ग निदेश परिशिष्ट-''क'' पर दर्शाया गया है । केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण कोषांग, पटना में कार्यरत पदाधिकारी तथा कर्मचारी इस निदेश का पालन कड़ाई से करेंगे एवं अनुपालन सुनिश्चित करेंगे । क्षेत्रीय स्तर पर मुख्य अभियंता /अधीक्षण अभियन्ता/ कार्यपालक अभियन्ता के अधीन कार्यरत क्षेत्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्षों के संचालन हेतु केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण कोषांग, पटना के सदृश मार्ग निदेश तैयार किये जायेंगे ।

2.04 ऐसा देखा जाता है कि जिला स्तरीय सामान्य प्रशासन के पदाधिकारी एवं विभागीय क्षेत्रीय पदाधिकारियों के बीच बाढ़ के समय समन्वय में कभी-कभी कमी रह जाती है, जिसके चलते क्षेत्रीय स्तर पर जिन समस्याओं का समाधान हो सकता है, उनके संबंध में भी मुख्यालय से निदेश की अपेक्षा की जाती है । सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता प्रत्येक जिला पदाधिकारी के बाढ़ नियंत्रण कक्ष में पर्याप्त संख्या में एक निर्धारित कार्यावली के तहत अनुभवी कनीय अभियन्ताओं की प्रतिनियुक्ति करेंगे जिनके पास सभी विभागीय पदाधिकारियों के दूरभाष संख्या, बाढ़ सामग्रियों की उपलब्धता की सूची इत्यादि उपलब्ध रहेगी ।

3.00 **गश्ती**

3.01 बाढ़ मौसम में तटबंधों की सुरक्षा तथा आक्राम्य स्थलों पर चौकसी रखने के लिए गश्ती की सुदृढ़ व्यवस्था बनाये रखना नितान्त आवश्यक है । मुख्य अभियंता द्वारा निर्गत बाढ़ गश्ती नियमावली में परिभाषित पदाधिकारियों के कर्तव्यों तथा दायित्वों के अनुकूल पदाधिकारी अपने-अपने क्षेत्राधिकारों में पड़ने वाले तटबंधों की सुरक्षा हेतु गहन निरीक्षण करेंगे, ताकि तटबंधों में सीपेज, पाईपिंग, कटाव इत्यादि के कारण उत्पन्न स्थितियों का प्रभावकारी ढंग से सामना किया जा सके । किसी भी आपदा को टालने अथवा इसमें वृद्धि को रोकने के ख्याल से एहतियाती कार्रवाई शीघ्र तथा सामयिक किया जाना चाहिए, ताकि आक्राम्य स्थलों को सुरक्षित रखा जा सके ।

3.02 बाढ़ अवधि 2026 (01 जून से 31 अक्टूबर-2026) में राज्य की विभिन्न नदियों पर अवस्थित तटबंधों की कड़ी सुरक्षा हेतु अतिरिक्त व्यवस्था के रूप में आवश्यकतानुसार निकटवर्ती ग्रामों के स्थानीय निवासी को तटबंध सुरक्षाकर्मी के रूप में तैनात करने का कार्यक्रम है ।

जल संसाधन विभाग के क्षेत्रिय अभियन्ता/कर्मी पूर्व की भाँति तटबंधों, संरचनाओं इत्यादि पर नियमित गश्ती करेंगे एवं सतत् चौकसी बरतेंगे ।

3.03 पूर्व के अनुभवों के आधार पर विभिन्न तटबंधों के पुराने आक्राम्य स्थलों की पहचान की गयी है । यह आवश्यक है कि बाढ़ प्रक्षेत्र के सभी मुख्य अभियंता द्वारा वैसे आक्राम्य स्थलों की अद्यतन सूची बनाकर संबंधित अनुमंडलाधिकारी तथा जिला पदाधिकारी को तुरंत परिचारित कर दिया जाय । यह भी आवश्यक है कि वैसे स्थलों की सुरक्षा हेतु एहतियाती कार्रवाई आगामी बाढ़ आने से पूर्व पूरी कर ली जाय। इसके अतिरिक्त यह भी आवश्यक है कि इन आक्राम्य स्थलों पर विशेष ध्यान दिया जाए, ताकि किसी भी स्थिति का दृढ़तापूर्वक सामना किया जा सके । आक्राम्य स्थलों की सूची नदियों तथा तटबंधों के नाम के साथ पॉच प्रतियों में नक्शों में दिखाकर 1 जून, 2026 (01.06.2026) तक मुख्य अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग, सिंचाई भवन, पटना को भेज दिया जाय ।

3.04 कंडिका 3.03 में वर्णित सभी आक्राम्य स्थलों एवं महत्वपूर्ण स्पर जो नदी की तीव्र धारा का सामना विगत वर्षो में कर चुका हो, जैसे नेपाल में कोशी एफलक्स बांध इत्यादि पर अहर्निश चौकसी आवश्यक है । यह निदेश दिया जाता है कि इन आक्राम्य स्थलों एवं महत्वपूर्ण स्परों पर चतुर्थ श्रेणी के दो-दो कर्मचारियों को 1 जून, 2026 से 31 अक्टूबर, 2026 के बीच स्थायी रूप से प्रतिनियुक्त कर दिया जाय । इन कर्मचारियों को एक पंजी भी दी जाए जिसमें नदी की वर्तमान स्थिति एवं सुरक्षा कार्यो पर नदी के प्रभाव की स्पष्ट सूचना अंकित की जायेगी । प्रतिदिन पर्यवेक्षी पदाधिकारी का दायित्व होगा कि कर्मचारियों की लगातार उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे और इसकी सूचना उच्चतम पदाधिकारियों को देंगे । वे कार्य स्थल की पंजी पर प्रविष्टियों की सत्यता की भी जांच कर अपना हस्ताक्षर करेंगे ।

3.05 ग्रामीणों द्वारा तटबंधों के काटे जाने जैसी समस्याओं को प्रभावकारी ढंग से कुशलतापूर्वक निपटाया जाना चाहिए, हालॉकि ऐसी घटनायें यदा-कदा घटती है । ऐसी घटनायें घटित नहीं हो इसके लिये आवश्यक है कि गहन गश्ती हेतु सशस्त्र पुलिस दलों की प्रतिनियुक्ति हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाय । मुख्य अभियंता/ अधीक्षण अभियन्ता/ कार्यपालक अभियन्ता जिन-जिन स्थलों पर गश्ती दलों को भेजना उचित समझेंगे, उसके लिये आवश्यक सशस्त्र पुलिस बलों की अधियाचना, संबंधित अनुमंडलाधिकारी तथा जिला पदाधिकारी से समय रहते ही करेंगे, ताकि गश्ती कार्य को यथा समय प्रभावकारी ढंग से सम्पन्न कराया जा सके । जिला पदाधिकारी तथा अनुमंडलाधिकारी सशस्त्र दल प्रतिनियुक्त करने में हर संभव सहायता तत्परता से करेंगे । तटबंधों की देखभाल तथा सुरक्षा के समय यदि किसी प्रकार की विधि व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो जिला पदाधिकारी अविलम्ब इसके लिए कार्रवाई करेंगे । क्षेत्र में जिला प्रशासन तथा तकनीकी पदाधिकारी सतत् सम्पर्क बनाये रखेंगे, ताकि आपात स्थिति का सामना सही ढंग से किया जा सके ।

3.06 जिला पदाधिकारी सामान्य प्रशासन के महत्वपूर्ण आधार हैं । अतः बाढ़ के कारण उत्पन्न किसी भी स्थिति का सामना करने के लिये उन्हें चौकस रहना चाहिए तथा ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि कुछ सशस्त्र बल को आक्राम्य स्थलों पर भेजने के समय इसकी कमी महसूस नहीं हो । जिला पदाधिकारी को चाहिए कि वे संबंधित तकनीकी पदाधिकारियों के साथ संवेदनशील स्थलों पर अपेक्षित प्रशासनिक कार्रवाई सुनिश्चित करें । मुख्य अभियन्ता से कार्यपालक अभियन्ता के स्तर के पदाधिकारी द्वारा, यदि सशस्त्र पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की मांग जिला पदाधिकारी से की जाये, तो वे प्राथमिकता के आधार पर उस पर कार्रवाई करेंगे । इस कार्य में पुलिस अधीक्षक प्राथमिकता के आधार पर उस पर कार्रवाई करेगें । इस कार्य में पुलिस अधीक्षक को भी विश्वास में रखा जाय, ताकि किसी भी प्रकार की विधि व्यवस्था पर काबू पाने तथा गश्ती के लिये आवश्यक सशस्त्र बलों का आकलन संयुक्त रूप से किया जा सके ।

3.07 जिला पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि कही भी तटबंधों और इनकी ढालों पर अतिक्रमण न रहे। सभी अतिक्रमण ससमय दूर हो जाय, जिससे अतिक्रमण हटने के बाद तटबंधों की ढालों आदि परे अत्यावश्यक पुनर्स्थापन का कार्य कार्यपालक अभियन्ता 01 जून, 2026 के पूर्व करा सके । इसे प्राथमिकता दी जाय ।

3.08 बाढ़ सतर्कता की दृष्टि से गश्ती कार्य एवं सुरक्षा व्यवस्था हेतु विभागीय पत्रांक-बाढ़ (मो0) सिंचाई-विविध-37/88-2288 दिनांक 2.9.88 से मुख्य सचिव, बिहार द्वारा तटबंधों तथा उनके आक्राम्य स्थलों की सुरक्षा एवं गश्ती निमित्त सशस्त्र बलों की प्रतिनियुक्ति की व्यवस्था करने हेतु प्रत्येक जिला में एक समिति गठित करने का निदेश दिया गया था । यह आदेश बाढ़ 1988 में प्रत्येक जिला पदाधिकारी/ पुलिस अधीक्षक को संसूचित किया गया था । इस वर्ष के आदेश की प्रति परिशिष्ट 'ख'-पर संलग्न है ।

उक्त समिति प्रतिवर्ष कार्यरत रहेगी, जिसके अध्यक्ष एवं सदस्य निम्न प्रकार है:-

1.	जिला पदाधिकारी	अध्यक्ष
2.	वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक	सदस्य
3.	कार्यपालक अभियन्ता (बाढ़ नियंत्रण कार्यो से संबंधित)	सदस्य
4.	आपदा प्रबंधन विभाग से संबंधित जिला स्तर के एक पदाधिकारी	सदस्य

समिति के कार्य का उल्लेख मुख्य सचिव के उपरोक्त पत्र में वर्णित है । समिति तदनुसार प्रतिवर्ष कार्य करेगी, ताकि तटबंधों पर किया गया अतिक्रमण तुरंत हट सके एवं तटबंध के आक्राम्य बिन्दुओं की सुरक्षा की कार्रवाई में विलम्ब न हो ।

बाढ़ में संलग्न अभियंताओं, कर्मियों, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के स्वयंसेवकों एवं संवेदकों को सुरक्षित रह कर प्रभावी ढंग से तटबंधों को बचाने की कार्रवाई करनी होती है । इसके लिए उपरोक्त सभी के साथ स्थानीय पुलिस, प्रखंड विकास पदाधिकारी आदि सहित अन्य स्थानीय प्रशासन एवं तटबंध श्रमिकों के साथ **''टीम बिल्डिंग''** करायी जाय ताकि तटबंध किसी हाल में सुरक्षित रह सके ।

''टीम बिल्डिंग'' के लिए यह आवश्यक होगा कि प्रखंडवार उपरोक्त सभी की मासिक बैठक जून से लेकर अक्टूबर तक की जाय ताकि तटबंधों की स्थिति की समीक्षा के साथ-साथ आपस में सभी का प्रभावकारी समन्वय हो सके । जो आकस्मिक परिस्थितियों में निपटने में अत्यंत प्रभावी होगा ।

आपसी समन्वय कर मोबाईल नम्बरों की सूची बनाकर उसका आदान-प्रदान, आगे की रणनीति पर विचार-मंथन, असामाजिक तत्वों से संबंधित सूचनाओं का आदान प्रदान करते हुए तटबंधों के सुरक्षा हेतु सभी एहतियाती कार्रवाई सुनिश्चित की जाय ।

4.00 **<u>जनता का सहयोग</u>**

4.01 इन सब तथ्यों के बावजूद क्षेत्रीय पदाधिकारीगण जो बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यो तथा विधि व्यवस्था के प्रभारी है, वे तटबंधों की सुरक्षा गश्ती तथा जन सहयोग प्राप्त करने में यथासंभव अपनी अहम भूमिका अदा कर सकते हैं । वैसी ग्राम-पंचायतें जो तटबंध के आसपास अवस्थित हैं, तटबंधों पर गश्ती कार्य तथा संभावित टूटान इत्यादि से संबंधित सूचनायें देने में बहुत हद तक सहायक सिद्ध हो सकती है, जिला पदाधिकारियों को चाहिए कि वैसे पंचायतों के मुखियों की आपात बैठक बुलायें ताकि बाढ़ के दिनों में संभावित जन-सहयोग का आकलन किया जा सके । गांव के स्वयं-सेवकों तथा चौकीदारों की सेवाओं की भी अधियाचना अवश्य ही की जाय, जिससे तटबंधों पर गश्ती की आवश्यकता तथा सूचनाओं को एकत्र करने में मदद मिल सके ।

4.02 **<u>सैन्य सहायता</u>**

अत्यधिक बाढ़ की स्थिति में जब स्थिति असैनिक प्रशासन के नियंत्रण के बाहर की हो जाय तभी सैन्य सहायता की अधियाचना की जाय । ऐसी सहायता की मांग स्थानीय असैनिक प्रशासन तथा तकनीकी पदाधिकारियों द्वारा राज्य के गृह विभाग से परामर्श पर ही की जाय ।

5.00 **<u>सूचनाओं का सम्प्रेषण</u>**

5.01 दूरभाष तथा बेतार यंत्र, बाढ़ सूचनाओं के द्रुत संचारण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक 23.02.1988 को एक बैठक हुई थी, जिसमें निम्नलिखित निर्णय लिये गये, उनका अनुपालन किया जाना चाहिए ।

5.01.1 **<u>बाढ़ पूर्वानुमान</u>**

(क) वर्षा तथा बाढ़ की अग्रिम सूचना प्राप्त करने की व्यवस्था नेपाल तथा बिहार के बाढ़ क्षेत्रों से समय पर जिला पदाधिकारियों को मिलनी चाहिए ।

(ख) तटबंधों के संवेदनशील स्थलों पर वायरलेस सेट रहना चाहिए, ताकि सूचना प्राप्त होने के बाद आम जनता को वस्तु स्थिति से आगाह किया जा सके ।

5.01.2 बेतार संवाद तथा ई-मेल संवाद हर दो घंटे पर प्रसारित करने के लिये पर्याप्त संख्या में पुलिस कर्मियों एवं मुख्यालय में कार्यरत कर्मी को तैनात किया जाना चाहिए ।

5.01.3 बाढ़ के समय वायरलेस सेट की अतिरिक्त व्यवस्था की जाय ताकि एक सेट खराब होने पर अतिरिक्त सेट काम में लाया जाय । सहायक महानिरीक्षक (वितन्तु) क्रमांक-5.01.1 (ख), 5.01.2 तथा 5.01.3 पर कार्रवाई दिनांक 15.06.2026 तक सुनिश्चित कर लेंगे ।

5.01.4 दूरभाष के संबंध में मुख्य अभियन्ता, बी.एस.एन.एल. के अधिकारियों से सम्पर्क करेंगे ताकि आक्राम्य स्थलों पर 15.06.2026 तक दूरभाष की स्थापना सुनिश्चित हो सके । दूरभाष तथा बेतार संयंत्रों के लगाये जाने की सूचना केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष, पटना को देंगे । मोबाईल कम्पनी के पदाधिकारी के साथ भी बैठक कर लेंगे । वैसे पदाधिकारीगण जो बाढ़ संघर्षात्मक कार्यो में संलग्न है, वे आवश्यकता पड़ने पर निकटवर्ती थाना का दूरभाष तथा बेतार संयंत्रों के लगाये जाने की सूचना केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष, पटना को देंगे अथवा निकटवर्ती थाना के बेतार तथा रेलवे के टेलीग्राफ प्रणाली का भी उपयोग कर सकेंगे ।

5.01.5 कम्युनिकेशन फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट पर एक वर्किंग ग्रुप का गठन किया गया था, जिसकी अनुशंसायें मुख्य सचिव के गैर सरकारी प्रेषण संख्या-5362 दिनांक 22.12.1997 द्वारा गृह सचिव एवं पुलिस महानिरीक्षक को भेजी गयी है । उसमें उल्लेख है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लगातार 24 घंटे वायरलेस सेट काम करता रहे ताकि सूचनायें केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष, पटना को निरंतर प्राप्त होती रहे । सहायक महानिरीक्षक (वितन्तु) क्रमांक 5.01.5 के प्रति कार्यवाई सुनिश्चित करेंगे । केन्द्रीय बाढ़ पुर्वानुमान संगठन, पटना 5.01.1(क) पर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे ।

5.02 बाढ़ की अवधि में संभव है कि क्षेत्रीय पदाधिकारी निरीक्षण तथा अन्य आवश्यक कार्यो से मुख्यालय से बाहर जाने वाले हो, तो वैसी स्थिति में वे 24 घंटे के लिए क्रमिक कर्तव्य की व्यवस्था कर लेंगे, जिसमें यात्रा के दौरान वे अपने ठिकाने इत्यादि का उल्लेख करें ताकि आवश्यकता पड़ने पर उन्हें आवश्यक सूचना दी जा सके ।

5.03 जल संसाधन विभाग द्वारा बाढ़ सूचनाओं के संधारण के लिये बेतार संयंत्र लगाये जाने के बावजूद भी सहायक महानिरीक्षक (वितन्तु) पुलिस बेतार संयंत्र में संलग्न कर्मचारियों को निदेश देंगे कि पुलिस बेतार संयंत्र का उपयोग वे जल संसाधन विभाग के पदाधिकारियों को करने दें, जिससे बाढ़ संबंधी सूचनाओं का प्राथमिकता के आधार पर सम्प्रेषण किया जा सके । राज्य के सभी पुलिस बेतार संयंत्र बाढ़ संबंधी सूचनाओं को प्राथमिकता के आधार पर संप्रेषित करेंगे ।

5.04 सहायक महानिरीक्षक (वितन्तु) जल संसाधन विभाग द्वारा अधियाचित बेतार संयंत्र लगाने तथा संचालन हेतु आवश्यक चालकों (ऑपरेटरों) को आवश्यक सामानों के साथ निर्दिष्ट

स्थलों पर भेजने पर विशेष ध्यान देंगे तथा यह भी सुनिश्चित करेंगे कि वैसे सभी बेतार संयंत्र 01 जून 2026 से कार्य करना प्रारंभ कर दें । सहायक महानिरीक्षक (वितन्तु) जल संसाधन विभाग के लिए इस बात का ख्याल रखेंगे कि विभागीय बेतार संयंत्र भी बिना किसी गड़बड़ी के कार्य करे । इन संयंत्रों में आवश्यक मरम्मति कार्य 01 जून, 2026 तक पूरा कर लिया जाय । जल संसाधन विभाग के अधीन वितन्तु यंत्र जो बाढ़ अवधि में खराब होंगे उसे पुलिस वितन्तु कर्मशाला में मरम्मति करा लिया जाए जिससे कार्य बाधित न हो ।

6.00 बाढ़ संघर्षात्मक सामग्रियाँ:-

6.01 संबंधित मुख्य अभियंता बाढ़ संघर्षात्मक सामग्रियों को उपर्युक्त स्थलों पर इकट्ठा कराने हेतु आवश्यक कदम उठायेंगे । वे बाढ़ संघर्षात्मक सामग्रियों की वास्तविक आवश्यकता, इकट्ठा किये गये सामग्रियों का परिमाण तथा शेष सामग्रियों की व्यवस्था की स्थिति की सूचना केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण कोषांग, पटना को देंगे। वे बाढ़ संघर्षात्मक सामग्रियों के भण्डार स्थल पर बाढ़ संघर्षात्मक सामग्रियों की प्राप्ति, निर्गत तथा शेष सामग्रियों का सही लेखा-जोखा रखे जाने की व्यवस्था करेंगे ताकि जाँच पदाधिकारीगण सामानों की पर्याप्तता तथा संसाधनों से अपने को संतुष्ट कर सके। जिला पदाधिकारी आपात स्थितियों में मजदूरों तथा सामग्रियों को आपात बिन्दुओं पर पहुँचाने में त्वरित कार्रवाई कर ट्रक-ट्रैक्टर इत्यादि जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंताओं को उपलब्ध करायेंगे । जिला पदाधिकारी यह भी ध्यान रखेंगे कि बाढ़ निरोधक कार्यो से संबंधित पदाधिकारियों के निरीक्षण-वाहन विधि व्यवस्था कार्य हेतु अधिग्रहित न किए जायें ।

7.00 **साप्ताहिक प्रतिवेदन:-**

7.01 मुख्य अभियंतागण अपने-अपने क्षेत्राधिकार के अधीन अधीक्षण अभियंताओं/ कार्यपालक अभियंताओं से बाढ़ स्थिति पर साप्ताहिक प्रतिवेदन प्रत्येक शनिवार को प्राप्त कर लेंगे । मुख्य अभियंता प्राप्त प्रतिवेदनों के आधार पर समेकित प्रतिवेदन तीन प्रतियों में केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष, पटना को भेजेंगे ।

7.02 साप्ताहिक प्रतिवेदन में इन विन्दुओं पर भी प्रकाश डाला जाना चाहिए कि नदी किस ओर उन्मुख है, क्षेत्र में वर्षापात् कितना हुआ, विभिन्न स्थलों पर गेज पठन, बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र में अभियंत्रण कार्यों तथा उच्च पथों, रेलवे, दूरभाष तारों की क्षति का मूल्यांकण सार्वजनिक उपयोगिताओं की क्षति तथा खड़ी फसलों एवं जन-जीवन की क्षति का ब्यौरा जिला प्रशासन से प्राप्त कर इसका भी समावेश साप्ताहिक प्रतिवेदनों में करेंगे ।

7.03 जब किसी क्षेत्र में बाढ़ का प्रकोप हो तो बाढ़ से प्रभावित पूरे क्षेत्र को दर्शाते हुए एक नक्शा तैयार कराया जाय, जिसमें यह दर्शाया जाय कि बाढ़ के पानी की गहराई उस बाढ़ की अवधि में कितनी रही। इस उद्देश्य से बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों को चार श्रेणियों में बाँटा जाय, यथा 30 से.मी., 60 से.मी., 90 से.मी., 120 से.मी. से अधिक बाढ़ के पानी की गहराई कहाँ-कहाँ रही। इसमें विशेष सावधानी बरती जाय। नक्शों

में उन तटबंधों तथा आक्राम्य स्थलों को भी दर्शाया जाय जहाँ पर सशस्त्र बल तैनात किये गये हों ।

7.04 मुख्य अभियंता, उपरोक्त साप्ताहिक प्रतिवेदनों तथा बाढ़ नक्शों को अतितत्परता के साथ केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण कोषांग, पटना को भेज देंगे तथा विवेचनात्मक प्रतिवेदन बेतार द्वारा सम्प्रेषित करेंगे। इन प्रतिवेदनों की डाक प्रतियाँ तथा बाढ़ नक्शों की प्रतियाँ विशेष दूत द्वारा भेजेंगे ।

7.05 अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंतागण बाढ़ संवादों को पुलिस बेतार संयंत्र/ विभागीय बेतार संयंत्र/ विशेष दूत द्वारा बिना समय नष्ट किये सम्प्रेषित करेंगे।

7.06 सभी बेतार संवाद निम्नांकित रूप में शुरू किया जाना चाहिए।
स्थिति प्रतिवेदन.................... वहाँ पर तटबंध का नाम (नदी का नाम)........... वि.दू. (आर.डी.) यहाँ पर आर.डी. का जिक्र करें। जिससे प्रतिवेदन संबंधित है। गाँव के पास .... (गाँव का नाम) ....जिला.......... (जिला का नाम) उसके बाद मुख्य संवाद लिखें ।

7.07 साथ ही E-mail/Phone/Whatsapp से भी संदेश भेजे जाने चाहिए ।

8.00 <u>सहाय्य एवं सुरक्षित स्थान पर पहुँचाया जाना</u>

8.01 यह पाया गया है कि क्षेत्रीय अभियंताओं की स्वीकृत योजनाओं के कार्यान्वियन में यदा-कदा असमाजिक तत्वों द्वारा व्यवधान उत्पन्न किया जाता है, जिससे कार्य की प्रगति बाधित होती है। संबंधित जिला पदाधिकारी की यह व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी कि ऐसी स्थिति में क्षेत्रीय तकनीकी पदाधिकारियों को सुरक्षा प्रदान की जाए ताकि कार्य की प्रगति बनायी रखी जा सके। साथ ही बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यों की गुणवत्ता एवं प्रगति की जाँच कर रहे विशेष दलों को भी उनके द्वारा मांगे जाने पर आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।

8.02 जब किसी तटबंध की सुरक्षा पर गंभीर खतरा हो जाय, तो मुख्य अभियंता तथा उनके अधीनस्थ कार्यपालक अभियंता स्तर तक के पदाधिकारी स्थिति की सूचना तुरंत संबंधित जिला पदाधिकारी को देंगे तथा इस स्थिति से केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण कोषांग, पटना को भी अवगत करायेंगे, जिसमें इस आशय का भी जिक्र होगा कि संभावित टूटान से कितने गाँव प्रभावित होंगे ।

तत्पश्चात् जिला पदाधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वैसे क्षेत्र में वे तुरंत बाढ़ चेतावनी निर्गत कर दें तथा संभावित बाढ़ से प्रभावित होने वालों के लिये सहाय्य की व्यवस्था एवं उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाने की व्यवस्था हेतु वे आवश्यक कार्रवाई करें ।

8.03 तत्पश्चात् सहाय्य एवं सुरक्षित स्थान तक पहुँचाने का संचालन आवश्यकतानुसार प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग करेंगे ।

****

Chd 12/05/26 AE   12/5/26 EE-15

Abhishek/badh niyantran adesh

परिशिष्ट-'क'

केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण कोषांग, पटना के लिये मार्ग निदेश

1. **सामान्यः**

केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण कोषांग, पटना बाढ़ संबंधी सूचनाओं को एकत्र करने का प्रभारी होगा तथा अभियंता प्रमुख द्वारा दिये गये सभी आवश्यक निदेशों को जल संसाधन विभाग के सभी पदाधिकारियों एवं जिला प्रशासन को सम्प्रेषित करेगा । यह कोषांग 01.06.2026 से 31.10.2026 तक कार्यरत रहेगा । बाढ़ आपात के अनुरूप इस अवधि को घटाया अथवा बढ़ाया जा सकता है।

2. **केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण कोषांग, पटना का स्थानः**

केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण कोषांग, सिंचाई भवन, पटना में अवस्थित रहेगा । इसके टॉल फ्री नम्बर : 1800 3456 145, दूरभाष सं0-0612- 2206669, 0612-2215850 एवं Mobile-7463889706, 7463889707 पर सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है। E-mail ID-fmcwrd@gmail.com के माध्यम से भी सूचना उपलब्ध करायी जा सकेगी ।

3. **केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण कोषांग, पटना का कार्यः**

(क) क्षेत्रीय पदाधिकारियों तथा बाढ़ पूर्वानुमान प्रमंडल, भारत सरकार, पटना से प्राप्त नदियों के जलस्तर के पठन, वर्षापात् आँकड़े तथा जल वैज्ञानिक आँकड़ों का अभिलेख रखना ।

(ख) विभिन्न श्रोतों से प्राप्त बाढ़ आँकड़ों तथा जल स्थिति गंभीर हो जाय तो चेतावनी संवाद तथा बाढ़ आपदाओं को दूर करने के लिये उचित कदम उठाने हेतु निदेश सम्प्रेषित करना ।

(ग) जब नदी का पठन खतरे के निशान से एक मीटर उपर हो तो वैसी स्थिति में संबंधित अभियंत्रण पदाधिकारियों तथा असैनिक पदाधिकारियों को बाढ़ चेतावनी निर्गत करना ।

(घ) विभिन्न श्रोतों से प्राप्त बाढ़ आँकड़े को समेकित करना ।

(ड़) सभी सम्बन्धित पदाधिकारियों से बाढ़ समस्याओं के संबंध में सम्पर्क बनाये रखना ।

(च) समय-समय पर आवश्यकतानुसार आकाशवाणी तथा जन-सम्पर्क विभाग, बिहार को बाढ़ समाचार उपलब्ध कराना ।

(छ) राज्य सरकार के विभिन्न विभागों को बाढ़ प्रतिवेदन उपलब्ध कराना ।

4. **प्रबंधन का संचालनः**

केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण कोषांग, पटना का प्रबंधन तथा संचालन जल संसाधन विभाग के पदाधिकारियों द्वारा किया जायेगा । अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, पटना कोषांग के प्रबंधन तथा कार्यकलाप के लिये उत्तरदायी होंगे । यह कोषांग मुख्य अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग, पटना के सीधे नियंत्रण में रहेगा । अभियंता प्रमुख, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, कोषांग के कार्यकलाप का पर्यवेक्षण समय-समय पर करेंगे तथा क्षेत्रीय स्तर पर कार्यो के सुचारू रूप से सम्पादन की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे ।

केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण कोषांग, बाढ़ अवधि में अनवरत पालियों में कार्य करेगा तथा पालियाँ 6.00 बजे पूवाह्न से 2.00 बजे अपराह्न तक, 2.00 बजे अपराह्न से 10.00 बजे रात्रि तक एवं 10.00 बजे रात्रि से 6.00 बजे पूर्वाह्न तक चला करेंगी ।

Abhishek/badh niyantran adesh

मुख्य अभियंताओं के अधीनस्थ मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता कार्यालय एवं बाढ़ नियंत्रण से संबंधित कार्यपालक अभियंताओं के अधीन एक-एक कोषांग पालियों में कार्यरत रहेगा । उन कोषांग के पालियों में निम्नलिखित पदाधिकारी/कर्मचारी कार्यरत रहेंगे ।

1.	सहायक अभियंता	-	1
2.	कनीय अभियंता/कर्मचारी	-	1
3.	अनुसेवक	-	1

इन पालियों के अतिरिक्त एक सामान्य पाली भी होगी, जिसका कार्यकाल 9.30 बजे पूर्वाह्न से 6.00 बजे अपराह्न तक रहेगा, जो सभी दिनों में कार्यरत रहेगा । बाढ़ नियंत्रण मोनिटरिंग अंचल के अधीनस्थ पदाधिकारियों/कर्मचारियों को आवश्यकता पड़ने पर शनिवार एवं रविवार को भी बुलाया जा सकता है । अन्य पाली बिना किसी रोक-टोक के कार्यरत रहेगा, चाहे वह शनिवार/रविवार हो या छुट्टी का दिन । केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण कोषांग के कार्य में संलग्न किसी भी कर्मचारी को सामान्य स्थिति में लीभ रिजर्व की भी व्यवस्था रहेगी ।

सुबह, अपराह्न एवं रात्रि में सुरक्षित पालियों में निम्नांकित पदाधिकारी/कर्मचारी होंगे:-

कार्यपालक अभियंता	-	1 (पाली प्रभारी होंगे)
सहायक अभियंता	-	2
कार्यालय चपरासी-सह डाक वाहक	-	2

टिप्पणी:-(1) पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों का समायोजन उसकी उपलब्धता तथा आवश्यकता के अनुसार केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण कोषांग के प्रभारी अधीक्षण अभियंता द्वारा किया जायेगा ।

(2) बाढ़ नियंत्रण कोषांग के अन्तर्गत एक बेतार कोषांग भी आवश्यकतानुसार तीन पालियों में एवं सुरक्षित पाली में कार्य करेगा, जिसका निर्धारण कोषांग के प्रभारी अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण योजना एवं मोनिटरिंग अंचल करेंगे ।

5. सज्जा:

(क) कोषांग तीन अदद दूरभाष से सज्जित रहेगा ।

(ख) कोषांग में समुचित बेतार संयंत्रों का प्रावधान रहेगा ।

(ग) कोषांग में पर्याप्त संख्या में जीप/वाहन तथा जीप /वाहन चालक रहेगा ।

(घ) कोषांग को आपातकालीन रोशनी के लिये जेनरेटर, इमरजेन्सी लाईट, टार्च, छाता, बरसाती कोट इत्यादि से सुसज्जित रखा जायेगा ।

(ङ) कोषांग की दक्षता बढ़ाने हेतु अन्य साज-सज्जा एवं यंत्र की आवश्यकता होने पर कोषांग को उससे भी सज्जित कर दिया जायेगा ।

6 अभिलेखों का रख-रखाव:

केन्द्रीय बाढ़ कोषांग में निम्नांकित पंजियों का संधारण किया जायेगा ।

(क) कर्तव्य पंजी-इस पंजी में नियंत्रण कक्ष में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा उपस्थिति अंकित की जायेगी ।

कर्तव्य पंजी

क्रमांक	तिथि	पाली संख्या	कर्तव्य पर उपस्थित कर्मचारी का नाम	कर्तव्य पर उपस्थित कर्मचारी का हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6

(ख) कर्मपुस्तिका :- कर्म पुस्तिका संधारण निम्नांकित प्रपत्र में किया जायेगा । इस पंजी में संबंधित व्यक्तियों से प्राप्त तथा संबंधित व्यक्तियों को सम्प्रेषित सभी समाचारों को दर्ज किया जायेगा ।

कर्म-पुस्तिका

क्रमांक	तिथि	समय	प्राप्त संवाद	श्रोत	सम्प्रेषित	संवाद किसे दिया गया	सम्प्रेषण का समय	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9

(ग) गेज पंजी:- इस पंजी में निम्नांकित प्रपत्र में नदीवार, नदी के गेज प्रतिवेदन की प्रविष्टि प्रतिदिन की जायेगी ।

गेज पंजी

क्रमांक	तिथि	स्थल का नाम	खतरे का निशान	गेज पठन	सूचना का श्रोत	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7

(घ) वर्षापात् पंजी:- इस पंजी में निम्नांकित प्रपत्र में विभिन्न वर्षा-मापक स्थलों पर अविलम्ब प्रतिदिन का वर्षापात् अंकित किया जायेगा ।

वर्षापात

तिथि	वर्षापात	स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4

(घ) बाढ़ क्षति पंजी:- इस पंजी में बाढ़ से हुई विभिन्न प्रकार की क्षति, स्थानों पर जल-जमाव का संधारण प्रपत्र में किया जायेगा । बाढ़ से हुई क्षति की सूचनायें विभाग के क्षेत्रीय पदाधिकारियों तथा जिला दंडाधिकारी द्वारा केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण कोषांग, पटना को भेजी जायेगी ।

बाढ़ क्षति पंजी

तिथि	जिला	गाँव का नाम	प्रभावित क्षेत्र	प्रभावित फसल का क्षेत्रफल (एकड़ में)	फसल की हुई क्षति का मूल्य	क्षतिग्रस्त घरों की संख्या	क्षतिग्रस्त घरों की कीमत	जानमाल की क्षति	पशुधन की क्षति	सार्वजनिक उपयोग के वस्तुओं की क्षति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

(च) निदेश पंजी:- इस पंजी में वरीय पदाधिकारियों द्वारा दिया गया आदेश एवं किसी पाली प्रभारी द्वारा अगले पाली प्रभारी को दिया गया अनुदेश अंकित किया जायेगा ।

तिथि	निदेश	किनके द्वारा दिया गया	अनुपालन की प्रवृति	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5

(छ) समाचार पत्र कतरन पंजी:- इस पंजी का संधारण निम्नांकित प्रपत्र में किया जायेगा । इस पंजी में विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित राज्य तथा समीपवर्ती राज्यों में बाढ़ स्थिति से संबंधित सूचनाओं का कतरन एकत्र कर चिपकाया जायेगा । कोषांग स्थानीय मुख्य समाचार पत्रों को मंगवायेगी।

समाचार पत्र कतरन पंजी

तिथि	समाचार पत्र का नाम	कटिंग
1	2	3

(ज) तटबंध एवं नहरों के टूटने एवं उन्हें काटे जाने संबंधी विवरणी की प्रविष्टि पंजी में निम्नांकित प्रपत्र में किया जायेगा ।

तटबंध/ नहर में दरार, कटाव की पंजी

क्र0	जिला का नाम	नहर/ तटबंध का नाम	स्थान जहाँ इसे काटा या तोड़ा गया	दरार पड़ने/ कटने की तिथि	प्रभावित जलश्राव	जलश्राव की तिथि	टूटान/ कटाव बंद करने की तिथि	प्रभावित क्षेत्र	कटाव/ टूटान से क्षति	मरम्मति पर कुल व्यय	टूट गया अथवा काटा गया	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

(झ) डाक पंजी :- निम्नांकित प्रपत्र में डाक पंजी का संधारण कोषांग में किया जायेगा ।

डाक पंजी

क्र0	तिथि	किसे भेजा गया	पत्र का आदेश	संदेशवाहक का नाम	हस्ताक्षर एवं प्राप्त करने की तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7

Abhishek/badh niyantran adesh

(ट) दूरभाष पंजी :- नियंत्रण कक्ष में दूरभाष पंजी का संधारण निम्नांकित प्रपत्र में किया जायेगा ।

दूरभाष पंजी

क्र0	तिथि	किसके द्वारा दूरभाष पर बात किया गया	कहाँ बुलावा दर्ज किया गया	बुलावा समय	बुलावा कार्यान्वित हुआ अथवा नहीं	बुलावा दर्ज करने वाले पदाधिकारी का हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8

7. सूचनाओं को प्राप्त होने पर उसे विभिन्न पंजियों में दर्ज कर दिया जायेगा तथा वैसी सूचनाओं का समावेश बाढ़ संबंधी संक्षिप्त समाचार में कर दिया जायेगा । आपात स्थिति में केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण कोषांग द्वारा संक्षिप्त बाढ़ समाचार प्रतिदिन निर्गत किया जायेगा । कोषांग वैसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगा, जिनको यह बाढ़ संबंधी संक्षिप्त समाचार भेजा जाना है ।

8. **नक्शे तथा तालिकायें:**

पूर्व में बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों के नक्शे तथा तालिकायें भी कोषांग में रखे जायेगें । नक्शों तथा तालिकाओं को अद्यतन कर लिया जायेगा तथा नदियों का अद्यतन स्थिति दर्शाकर उसे केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण कोषांग में प्रदर्शित किया जायेगा । वर्षापात तालिकाओं की भी संधारण किया जायेगा तथा जाँच हेतु उसे कोषांग में प्रदर्शित किया जायेगा । तटबंधों तथा उनमें यदि कोई दरार पड़ी हो तो बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र का नक्शा तैयार कर कोषांग में रखा जायेगा ।

9. **बाढ़ संयंत्र व्यवस्थायें:**

केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण कोषांग बाढ़ संघर्षात्मक कार्यो के लिये किये गये व्यवस्थाओं की पूर्ण सूचनाओं का संधारण करेगा । उन सूचनाओं से तटबंधवार आक्राम्य बिन्दुओं की सूचना, उपर्युक्त स्थानों पर भंडारित सामग्रियों की विवरणी तथा क्षेत्र में संधारित दूरभाष/ बेतार संयंत्रों की विवरणी का भी समावेश रहेगा ।

10. **बाढ़ प्रतिवेदन:**

बाढ़ प्रतिवेदन में निम्नांकित परिच्छेद होगें :-

(i) वर्षापात् ।

(ii) नदियों के विभिन्न स्थलों पर का गेज ।

(iii) नदियों की प्रवृति ।

(iv) दरारें- दरार पड़े हुए स्थलों के नाम, दरार पड़ने के कारण, बाढ़ के पानी को रोकने एवं दरारों को पाटने हेतु उठाये गये कदम ।

(v) क्षतियाँ ।

(vi) तत्संबंधी अन्य बातें ।

Chdu 12/05/26 AE

12/5/26